169

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07–ज0वि0प्र0–16/09– 164 खाद्य, पटना/दिनांक– 10.01.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– पैक्स / स्वयं सहायता समूह को जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 5558 दिनांक 16.12.2009 द्वारा किसी पंचायत में अनारक्षित रिक्ति उपलब्ध होने की स्थिति में पंचायत में कार्यरत पैक्स से आवेदन आमंत्रित कर जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निदेश दिया गया है ।

सरकार ने ऐसे सभी पंचायत जहां जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्ति है, वहाँ जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति पैक्स/स्वयं सहायता समूह को प्रदान करने का निर्णय लिया है । अतः प्रत्येक पंचायत में कार्यरत पैक्स एवं स्वयं सहायता समूह को जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति अविलंब प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय । जिस पंचायत में वर्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्ति नही है वहां भी पैक्स को एक जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाय और पैक्स तथा पूर्व से कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों के साथ उपभोक्ताओं को इस प्रकार सम्बद्ध किया जाय कि उनकी आर्थिक संभाव्यता बनी रहे ।

विभागीय पत्रांक 4822 दिनांक 17.08.10 द्वारा पैक्सों को जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के क्रम में 25 मे0 टन खाद्यान्न क्षमता के गोदाम सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है । इसे तत्काल प्रभाव से शिथिल किया जाता है ।

विश्वासभाजन,

Sd/- 10/01/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – प्र07–ज0वि0प्र0–16/09– 164 खाद्य, पटना/दिनांक– 10.01.2011

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 10/01/2011

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – प्र07–ज0वि0प्र0–16/09– 164 खाद्य, पटना/दिनांक– 10.1.2011

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 10/01/2011

प्रधान सचिव ।

D:\2011\Sec_7\PDS.doc